न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 62/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री तुलसा कुंवर विधवा श्री महेन्द्रसिं जी झाला राजपूत निवासी लोसिंग का ढाणा तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मगना पिता दल्ला जी भाट निवासी गाडरियो का गुड़ा हाल सालोदा तहसील नाथद्वारा जिला उदयपुर (राज0)
2. **मृतका श्रीमती कन्नी पुत्री श्री भूराजी डांगी गाडरी निवासी पाणेर तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर के बजाय** :–

2/1– श्री शिवजी पिता श्री वख्ता जी गायरी पति

2/2– श्री लोगर पिता शिवजी गायरी पुत्र

2/3– श्री वरदा पिता श्री शिवजी गायरी पुत्र

2/4– श्री कालू पिता श्री शिवजी गायरी पुत्र

सभी निवासी पाणेर तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक कोर्ट) गिर्वा दिनांक 10–6–2016
प्रकरण संख्या 9/2016 वाद

———

उपस्थित :–1–श्री हीरालाल कटारिया अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री हषर्द जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3–श्री कुलदीप शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/4

———/———

निर्णय **दिनांक 15–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 के विरूद्ध धारा–88, 188 व 92–ए का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गाडरियो का गुड़ा की विादित आराजीयात वादपत्र की कम संख्या–1 अनुसार वादिया के पति द्वारा वादिया के नाम से दिनांक 6–4–2009 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की,

जिस पर उसका ही स्वामित्व व आधिपत्य है। 30 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या–2 की माता भूरी गाडरी से उक्त भूमि क्रय का उल्लेख करते हुए, घोषणा का एक वाद प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा न्यायालय में 126/2015 पेश किया। चालू राजस्व रेकार्ड में खातेदार कन्नी से भूमि क्रय करने के कारण भूमि पर वादिया का कब्जा होने से प्रतिवादी द्वारा वादिया को इस वाद में प्रतिवादी बनाया जाना आवश्यक था तथा उसे पक्षकार बनाने का आवेदन भी दिनांक 24–8–2015 को खारिज दिया गया। इसलिए यह वाद पेश कर निवेदन किया कि उसे खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 की और से अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या–2 की तामिल में प्रकरण चल रहा था, इसी दौराने दिनांक 10–6–2016 को प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अधिनस्थ न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया :–

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाऐं जारी की गई
10–6–2016	प्रकरण लोक अदालत कैम्प कदमाल पेश हुआ। वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया। वाद घोषणा का है। प्रतिवादी नं. 2 ने जरिये विक्रय पत्र से वादी को खातेदारी भूमि 6–4–09 को बेची गई। उसकी ही वादी घोषणा का वाद लाया है। परन्तु प्रतिवादी नं. 1 मगना को 1985 में बेच दी। एक ही भूमि का दो बार विक्रय हुआ है। यह प्रकरण सिविल न्यायालय का है। वादी पूर्व में हुए पंजीयन को निरस्त करावें। अतः इसी स्टेज पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पंजीयन विक्रय पत्र सक्षम सिविल न्यायालय से प्रमाणित किया जा सकता है। ह0/– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा जिला उदयपुर	

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 10–6–2016 से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–7–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री हर्षद जोनी ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकाम संस्थित किये गये, जिनकी और से अधिवक्ता श्री कुलदीप शर्मा ने वकालत पत्र पेश किया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सूचित किये बिना, नियत तिथि से पृथक जाकर पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों का अंतिम निर्णय करने के स्थान पर प्राकृतिक न्याय, स्थापित विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर यह निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारों को सूचित किये बिना नियत तिथि से पूर्व प्रकरण में स्थापित विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना निर्णय पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री नका पिता काना पारगी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर व अन्य–5	बनाम	**श्री नानालाल पिता रामा जी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर**

अपील नं0 **43/2014** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**झाड़ोल** .....मुकाम मुक्र्खे.....**14**.....माह.....**05**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... सन् .....**2017** .....रूबरू . .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री सुरेश त्रिवेदी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री मनीष शर्मा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2014 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0

1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।